कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश

सूचना/विज्ञप्ति

06 मार्च, 2024 ई0

पत्रांक 4037/(11)स्वा0अनु0/डे0प0उपविधि–2024/2023–24–नगर निगम अधिनियम 1959 के अध्याय 16 में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 541 एवं धारा 453 (अध्याय XV1-Regulation of Markets, Slauthter houses, certain tredes and acts etc) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन एवं अनुज्ञा के क्रम में उपविधि–2024 प्राख्यापित की जानी है, जिसका प्रारूप निम्नवत् है–

यदि किसी भी संघटन/संस्था अथवा हितबद्ध को निम्न में किसी भी प्रकार का सुझाव/संसोधन /आपत्ति/दावे किये जाने की अपेक्षा हो तो, इस विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर लिखित रूप में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में हार्ड कॉपी अथवा ईमेल–npprishikesh@gmail.com पर सुसंगत अभिलेख मय सुझाव प्रेषित किये जा सकते है। तदोपरान्त् प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति/दावे पर विचार नही किया जायेगा।

1– संक्षिप्त नाम : 1. नाम यह उपविधि नगर निगम, ऋषिकेश डेरी/डेरी पशु उपविधि, 2024 कहलायेगी।

2. यह उपविधि राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2– परिभाषाएं : (क) "डेरी पशु" से तात्पर्य गाय, बैल, भैस भैसा एंव उनकी संतति से है।

(ख) "दुग्धशाला" से तात्पर्य उस परिसर से है जहाँ दुधारू पशुओं को रखा जाता है।

(ग) "पशुचिकित्सा अधिकारी से तात्पर्य नगर निगम में शासन द्वारा प्रतिनियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी से है अथवा पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक अथवा इससे उच्च उपाधिधारक जो संघ अथवा राज्य पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकृत हो से है।

(घ) "व्यावसायिक डेरी परिसर से तात्पर्य ऐसे परिसर से है, जहाँ 5 अथवा 5 से अधिक वयस्क डेरी पशु को रखा गया हो से है।

(ड) "गौशाला से तात्पर्य पशु कल्याण हेतु राज्य पशुकल्याण बोर्ड में पंजीकृत संस्था से है, जो कि अलाभकारी गोंवश की देख–रेख के लिए स्थापित की गई हो।

(च) अलाभकार पशु से तात्पर्य अनुत्पादक वृद्ध, बीमार एंव घायल निराश्रित गोवंश तथा पुलिस– प्रशासन/नगर निकाय द्वारा गोतस्करों अथवा पशु क्रूरता के प्रकरण में जब्त किये गये केस प्रापर्टी गोंवश से है।

3– कोई भी व्यक्ति नगर निगम, ऋषिकेश की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के परिसर का उपयोग उक्त प्रयोजन (डेरी) के लिये जारी की गयी अनुज्ञा के बिना नही करेगा व न ही किसी को भी उपयोग करने की अनुमति देगा।

4– अनुज्ञा हेतु प्रतिबन्ध :–

(क) नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत डेरी परिसर संचालित किये जाने हेतु अथवा डेरी पशु पालने हेतु नगर निगम, ऋषिकेश द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanne

(ख) नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत डेरी परिसर के संचालन हेतु अथवा डेरी पशु पालने हेतु अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदक को नगर निगम के पक्ष में नगर निगम द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ, प्रारूप–1 के अनुरूप निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (non refundable) होगा।

(ग) व्यवसायिक डेरी परिसर के संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण परिषद से नियमानुसार सी0टी0ओ0 (Conset to operate) प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करना आवश्यक होगा।

(घ) नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश द्वारा अधिकृत अधिकरी/अधिकरियों/दल द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा, जिसके द्वारा प्रारूप–2 पर स्थलीय निरीक्षण उपरान्त आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

(ड़) नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश द्वारा अधिकृत अधिकारी निरीक्षक दल की प्रारूप–02 पर प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या के आलोक में सम्बन्धित व्यावसायिक डेरी परिसर को अनुज्ञा प्रदान किये जाने के क्रम में निर्णय लेंगे। अनुज्ञा दिये जाने हेतु उपयुक्त की स्थिति में व्यावसायिक डेरी परिसर में वयस्क तथा अवयस्क पशुओं की अधिकतम अनुमन्य संख्या उल्लिखित करते हुए प्रारूप–3 के अनुरूप अनुज्ञापत्र निर्गत किया जायेगा।

(च) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर अनुज्ञा के प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन हेतु बाध्य होगा।

(छ) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर द्वारा स्वंय के डेरी परिसर में मुख्य दीवार पर अनुज्ञापत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के समय प्रदर्शित न किय जाने पर रू0 500/– का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

(ज) नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत समय–समय पर व्यावसायिक डेरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकेगा। अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर द्वारा अनुज्ञा के प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंधन किये जाने पर अनुज्ञापत्र का तात्कालिक निलम्बन अथवा पूर्णतः निरस्तीकरण किया जा सकेगा तथा अधिनियम की धारा–457 एंव धारा–451(3) के अनुरूप अर्थदण्ड का आरोपण किया जायेगा जिसकी राशि 5000/– प्रति अपराध तक हो सकेगी।

(झ) नगर निगम, ऋषिकेश द्वारा निर्गत अनुज्ञापत्र अनुज्ञा जारी किये जाने की तिथि से कुल 01(एक) वर्ष हेतु मान्य होगा।

(ञ) अनुज्ञा दिये जाने हेतु अनुपयुक्ता की स्थिति में आवेदन के एक माह के भीतर सम्बन्धित प्रकरण के अस्वीकृति की सूचना निर्गत कर दी जायेगी।

(ट) नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञा के बिना व्यावसायिक डेरी परिसर संचालित किये जाने की दशा में नगर निगम अधिनियम की धारा–467 एंव धारा–451(3) के अनुरूप दण्ड का आरोपण किया जायेगा, जो रू0 25,000/– तक हो सकेगा।

(ठ) डेरी पालन के लिए समय–समय पर सक्षम न्यायालयों के पारित आदेशों/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग/विभाग द्वारा प्राप्त सभी जरूरी अनुमतियाँ प्राप्त करने की जिम्मेदारी

Scanned with OKEN Scanner

अनुज्ञाधारी की होगी तथा इस आशय का शपथ–पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञा जारी करने बाद भी किसी भी सक्षम न्यायालय/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग/विभाग से अनुज्ञाधारी की डेरी उनके मानकों के अनुरूप नही पायी जाती व कोई कार्यवाही की जाती है तो नगर निगम द्वारा जारी अनुज्ञा स्वत निरस्त मानी जायेगी।

5–अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण :–

अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये अनुज्ञप्ति धारक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपना आवेदन पिछली अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के 15 दिन पहले करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्ति समाप्ति के उपरान्त संचालन पर नियम 4(ट) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

6– (क) इन उपविधि के तहत अनुज्ञाप्ति के लिये वार्षिक शुल्क प्रथम बार रू0 500/– प्रतिपशु व नवीनीकरण की स्थिति में रू0 300/– प्रतिपशु निर्धारित है।

(ख) उत्तराखण्ड़ पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त गोसदन/गौशाला के लिये कोई भी शुल्क नही लिया जायेगा।

7– उक्त उपविधि के तहत् जारी की गयी हर अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होनी अर्थात् :–

(क) प्रत्येक दुग्धशाला के फर्स को पूरी तरह से सुरक्षा रखने की व्यवस्था पशु स्वामी द्वारा की जानी होगी तथा वायु के आवागमन एंव प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश की उचित व्यवस्था हो।

(ख) पशुओं को रखने के स्थान पर पशुओं को विपरीत प्राकृतिक दशाओं में जैसे–तेज धूप, गर्मी, सर्दी व बरसात आदि से बचाव हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(ग) डेरी स्वामी को अपनी डेरी से उपलब्ध गोबर के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी, जिसका प्रमाण भी अनुज्ञप्ति अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। व गोबर को सीवर अथवा खुले नाले में नही डाला जायेगा, कम्पोस्ट बनाकर अथवा किसी कम्पोस्ट/गोबर उत्पाद बनाने वाले उपकम को दिया जाना अथवा बायोगैस संयंत्र के द्वारा निस्तारण ही मान्य होगा। गोबर के निस्तारण के सम्बन्ध में समय–समय पर नगर निगम द्वारा जारी दिशा–निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आशय का शपथ–पत्र भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी,अनुज्ञप्ति अधिकारी को किसी भी संकमण रोग के बारे में तुरन्त सूचित करेगा एंव अपने संघ/राज्य पशुचिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशुचिकित्सक से समुचित उपचार हेतु बाध्य होगा अथवा संकमित पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखेगें।

दुग्धशाला के सभी पशुओं को माईकोचिप लगवाकर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

8– सभी पशुओं की संतति का रिकार्ड समस्त डेरी स्वामियों द्वारा रखना अनिवार्य होगा।

9– किसी भी डेरी पशु स्वामी द्वारा अपने पशुओं को किसी भी परिस्थिति में सडकों पर अथवा अपने परिसर के बाहर खुला नही छोडा जायेगा। पशु के बाहर खुला छोडे पाये जाने पर रू0 2000/– प्रतिपशु प्रतिदिन/उत्तराखण्ड़ गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

10.– लेखाजोखा (रिकॉर्ड) रखना– व्यावसायिक डेरी प्रतिष्ठान को अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद, प्रतिष्ठान द्वारा निम्न प्रपत्रों युक्त पंजिका में अभिलेखों का लेखाजोखा रखा जायेगा :–

(क) निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप रखे गये सभी पशुओं का विवरण।

(ख) पशुओं का पशुचिकित्सा स्वास्थ्य का विवरण।

(ग) पशुओं के टीकाकरण/टोक्साईड का विवरण।

(घ) कृमिरोधी दवापान का विवरण।

(ड़) पशुओं का गर्भाधान/नस्ल का विवरण।

(च) पशुओं के क्रय–विक्रय का विवरण।

11– कोई भी डेरी स्वामी अनुज्ञप्ति अधिकारी या किसी भी अधिकारी को किसी भी समय पर, डेरी का निरीक्षण करने के लिये आपत्ति नही कर सकता।

12– उपरोक्त उपविधियों के उल्लघन पर रद्द की गयी अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण को पुनर्जीवित करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है जिस पर निर्णय नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अनुज्ञाप्ति अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। दो बार निरस्त की गयी किसी अनुज्ञप्ति को किसी भी दशा में पुनर्जीवित नहीं कराया जा सकेगा। उक्त प्रकार के अनुरोध किये जाने हेतु अधिकतम समय सीमा प्रथम निरस्तीकरण के एक माह तक होगी।

13– यदि कोई पशु बेचा जाता है या मरता है या निरस्तारित किया जाता है तो उसकी जानकारी पशुपालक द्वारा नगर निगम, ऋषिकेश के कार्यालय में 15 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि पशुपालक उक्तवत् अवधि में जानकारी नही देता तो पशु के कारण लगने वाले अर्थदण्ड़ का वहन पंजीकृत पशुस्वामी को ही करना हो।

ह0 (अस्पष्ट)
नगर आयुक्त,
नगर निगम ऋषिकेश।